

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28.05.2022

क./एफ 01-26/2022/20-1 सी.एम.राइज योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए चयनित शहरी क्षेत्र के लोक सेवकों को समान सामर्थ्य में शहरी क्षेत्र की सी.एम. राइज संस्थाओं अथवा उसकी केम्पस संस्थाओं में EVS विषय में प्राथमिक शिक्षक/ सहायक शिक्षक के रूप में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

स. क्र.	UID	नाम	वर्तमान पदस्थापना	वर्तमान जिला	नवीन पदस्थापना	नवीन जिला
1	AA3222	SAVITA SAINI	DISE-23320303104 GOVT MS KHAJURI KHURD	BHOPAL	DISE-GOVT HSS GIRLS, GOVINDPURA, BHEL BHOPAL	BHOPAL
2	AA3223	SUMAN SETHIA	DISE-23320303104 GOVT MS KHAJURI KHURD	BHOPAL	DISE-GOVT HSS GIRLS, GOVINDPURA, BHEL BHOPAL	BHOPAL
3	BP3313	NEELAM MISHRA	DISE-23320301306 GOVT MS CHANDRA SHEKHAR AZAD	BHOPAL	DISE-GOVT HSS GIRLS, GOVINDPURA, BHEL BHOPAL	BHOPAL
4	AT7830	SAMEENA ALI	DISE-23320401811 GOVT HS TATYA TOPE	BHOPAL	DISE-GOVT HSS GIRLS, BARKHEDI, JAHANGIRABAD BHOPAL	BHOPAL
5	BQ4099	SHOBHA JALWANIYA	DISE-23260104013 GOVT HSS EXELLECE BAL VINAY MANDIR	INDORE	DISE-GOVT HSS GIRLS AHILYA ASHRAM NO 1 INDORE	INDORE
6	AM4191	VANDANA CHOUHAN	DISE-23260517603 MS CHOTA BANGDADA	INDORE	DISE-GOVT HSS MUSAKHEDI INDORE	INDORE
7	BV4234	MEENA MALVIYA	DISE-23260103107 SAMU BHAV PS JIVAN KI FEL	INDORE	DISE-GOVT HSS GIRLS AHILYA ASHRAM NO 1 INDORE	INDORE
8	AM3681	IRFAN KHAN	DISE-23260314203 URDU GMS BETMA	INDORE	DISE-GOVT HSS MUSAKHEDI INDORE	INDORE
9	AX4282	VINEETA SINGH	DISE-23140410317 Govt ms girls baikunthpur	REWA	DISE-GOVT. HSS GIRLS, SEMARIYA REWA	REWA
10	BD4046	JYOTI SHARMA	DISE-23080617276 GGHSS TIKAMGARH	TIKAMGARH	DISE-GGHS BADAGAON TIKAMGARH	TIKAMGARH

सभी संबंधित लोक सेवकों को दिनांक 1.6.2022 तक संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी लोक सेवकों को कार्यमुक्त करते वक्त अथवा कार्यभार ग्रहण कराते वक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि -

1. सभी लोक सेवक शासकीय एवं विभागीय शिक्षक हों।
2. कोई नवनियुक्त शिक्षक न हो। यदि सूची में त्रुटिवश किसी नवनियुक्त/अनुकंपा से नियुक्त शिक्षक का नाम हो तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
3. सूची में उल्लेखित लोक सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच, लोकायुक्त, ई. ओ. डब्ल्यू में कोई गंभीर शिकायत लंबित न हो। लंबित होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र./एफ 01-26/2022/20-1/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28.05.2022

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.।
4. संबंधित कलेक्टर म.प्र.।
5. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
8. संबंधित प्राचार्य,की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. आर्डर बुक।


28/5/2022

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग